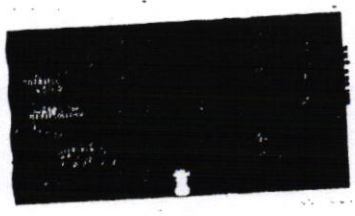

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण कमांक /पुर्नविलोकन/2017–टीकमगढ़ 720-I-17

1. महेश पुत्र जयराम तिवारी
2. दिनेश पुत्र जयराम तिवारी निवासीगढ ग्राम गोरा खास, तहसील–पृथ्वीपुर, जिला–टीकमगढ़

........................पुर्नविलोकनकर्ता

बनाम

1. कल्लू उर्फ कालीचरन पुत्र मोहन चमार
2. भज्जू पुत्र मोहन चमार लावल्द (मृत)
3. चिरोंजी पुत्र हरदास कुम्हार निवासीगढ ग्राम गोरा खास, तहसील–पृथ्वीपुर, जिला–टीकमगढ़
4. म.प्र. शासन .... अनावेदकगण

पुर्नविलोकन आवेदन पत्र धारा 51 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 के अन्तर्गत प्रस्तुत विरूद्ध आदेश सदस्य श्री एम.के.सिंह द्वारा पारित आदेश प्रकरण कमांक 1673/दो/2008–निगरानी कल्लू उर्फ कालीचरन आदि बनाम महेश आदि आदेश दिनांक 15.02.17 को पारित।

श्रीमान्जी,

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्नप्रकार प्रस्तुत है–

यहकि, अनावेदक कमांक 1 व 2 ने विवादित आराजी ग्राम–गोराखास के आराजी कमांक 494/1/1/3 रकबा 1.000 हैक्टर का सम्मिलित पट्टा, लगान 2.50 कराकर अनावेदक 1 व 2 ने गलत जानकारी व गलत न्यायालय को गुमराह कर पट्टा दिनांक 14.04.2002 को प्राप्त किया जबकि इन्हीं पक्षकारों के मध्य पूर्व में तहसील न्यायालय ने इन पक्षकारों के बारे में तहसील प्रकरण कमांक 25/अ 19/1/2001–02 बंटन संलग्न आर्डरसीट दिनांक 14.04.2002 पेज 3 की अंतिम चौथी लाइन में उल्लेख **प्राप्त आवेदनों में से आवेदक भज्जू तनय मोहन, कल्लू उर्फ कालीचरन तनय मोहन चमार कटेरा, जिला झॉसी उ.प्र. का निवासी होने से अपात्र पाया गया इसके बाद भी तहसीलदार पृथ्वीपुर ने 14.04.2002 के अंतिम आदेश की अंतिम पंक्ति में अपात्र होने के बावजूद भी उक्त भूमि बंटन कर दी।**

श्री कुंवर सिंह कुशवाह द्वारा 23.2.17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 23.2.17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

महाधिवक्ता, ग्वालियर 22/2/18

XXIX(a)-BR(H)-11 -2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - पुर्नावलोकन-720-एक/17 **जिला** - टीकमगढ़

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
03.10.18	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता के बिंदु पर दिए गए तर्कों पर विचार किया । यह पुनरावलोकन तत्कालीन सदस्य द्वारा प्रकरण क्रमांक निगरानी 1673-दो/2008 में पारित आदेश दिनांक 15.02.2017 के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं आलोच्य आदेश का अवलोकन किया। संहिता की धारा किसी भी मामले का पुनरावलोकन किए जाने की परिस्थितियों का उल्लेख संहिता की धारा-51 सहपठित आदेश 47 नियम 1 व्यवहार प्रक्रिया संहिता में किया गया है। जिसके अनुसार किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो तत्परता के पश्चात भी पूर्व में आदेश पारित करते समय ज्ञान में नहीं था या कोई ऐसी त्रुटि या भूल जो अभिलेख से प्रकट हो या अन्य कोई पर्याप्त कारण। पुनरावलोकन आवेदन में जो आधार दिए गए हैं उनका निराकरण तत्कालीन सदस्य द्वारा कारण दर्शाते हुए पूर्व में ही किया जा चुका है। आलोच्य आदेश में तत्कालीन सदस्य द्वारा न्याय दृष्टांत इन्दर सिंह तथा अन्य विरुद्ध म0प्र0 राज्य 2009 आर.एन. 251 एवं देवी प्रसाद विरुद्ध नाके जे.एल.जे. 155=1975 आर.एन. 67=1975 आर.एन. 208 का हवाला देत हुए स्पष्ट किया गया है कि भूमि का आबंटन 5 वर्ष पूर्व किया गया। आबंटित को भूमि स्वामी स्वत्व प्राप्त, तत्पश्चात आबंटन रद्द नहीं किया जा सकता। उक्त आधारों पर विचार किए बिना अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश निरस्त किया है। जिसमें प्रथम दृष्टया कोई सारवान त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। दर्शित परिस्थिति में यह पुनरावलोकन आवेदन ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य किया जाता है। **प्रशासकीय सदस्य**	